

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसाट (दासा)

किस्म मुकदमा फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

रीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
2024/206

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

2/6/2024

दावा... द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर किया जाकर तलवी अप्रार्थी की जारी होकर पत्रावली दिनांक... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसाट जिला-दासा (राज०)

24/7/24 पत्रावली गेज... को पेश हो।
दिनांक 29/9/24

रिडर

Notice Issued
144-1447
22/7/2024

30/7/24 पत्रावली गेज... को पेश हो।
से तहसीलदार लालसाट से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो गांव पत्रावली की...
सेवका 2 द्वारा प्राप्त हुआ
पत्रावली गेज... को पेश हो।
30/7/2024 का पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
लालसाट जिला दासा (राज०)

30/7/24 पत्रावली गेज... को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी द्वारा...
सेवका 2 द्वारा प्राप्त हुआ
से तहसीलदार लालसाट से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो गांव पत्रावली की...
सेवका 2 द्वारा प्राप्त हुआ
पत्रावली गेज... को पेश हो।
30/7/2024 का पत्रावली

मौखिकी वनाम अदालत

206
2024

विश्वरुद्र राजस्य विकार से विवेक पुत्र अनिल को
मदन लाल का पुत्र मानते हुए राजस्य विकार से
संभल कर दिया गया। उक्त संवेद्य से स्वयं विवेक
पुत्र अनिल द्वारा श्लेष क्रिमत 50 संवेद्य पर
शायद-कब के का स्वयं का नाम राजस्य
विकार से विलोपित करने का निवेदन किया है
व मदन लाल के वारीमान मोहनी देवी बलि,
अनिल, सुनिला, रामदेव पुत्र, अनिता, सुनिला,
राजकुमारी के हि नाम राजस्य विकार से रखने
पर सहमती जगदित जी उचरी है।

इस प्रकार का काठपत्र स्वीकार किया
जाता है व तदसील यर लाल मोहनी को साक्ष्य
दिया जाता है कि काठपत्र से अंकित आसपास
अंग से से विवेक पुत्र मदन लाल का नाम
विलोपित किया जाकर भूमि का विस्तार
मदन लाल के शेष वारिस के नाम देम
किया जाकर राजस्य विकार रद्द किया जावे
इस आशय की तद्वीर तदसील यर लाल मोहनी
का जारी है। पञ्जाबली फैलल इमाल होकर
नगल से काय दलबल दपतर है।

उपसंभ अधिकारी
लालसोट बिला दोसा (राजो ४)